फर्द अहकाम

प्रकरण सं.....61...../2018

सरोज आदि बनाम हुक्माराम व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 212 R.T.A.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना 212 R.T.A. हेतु पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली कैलाश कुमार बोहरा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

करण संख्या : 61/2018 **दायरा दिनांक : 09.05.2018**

1. सरोज पत्नी रजिराम पुत्री हुक्माराम जाति सुथार साकिन सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. लेखराम } पुत्रगण हुक्माराम अकवाम सुथार निवासीयान
3. धर्मपाल } सांवलसर तहसील सूरतगढ़
4. लिछमा पत्नी दलीप पुत्री हुक्माराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

— प्रार्थी

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र श्री छतुराम जाति सुथार साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सूरतगढ़
3. तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. उप पंजीयक सूरतगढ़

— अप्रार्थीगण

उपस्थिती :—

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक, प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीसं. 01 व 4 एक्स पार्टी दिनांक 27.06.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::— निर्णय —:: **दिनांक : 25.10.2019**

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता छतुराम के नाम वाके चक 2 एस.एम.आर. प0न0 94/28 व प0न0 94/29, 94/37, 94/36 कुल 26.12 बीघा व इसी चक के प0न0 94/44, 94/36, 94/37, 94/45 में 51.12 बीघाा भूमि खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त है। प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता छतु पुत्र मेघाराम के फौत होने के पश्चात् उपर अंकित रकबा में से अप्रार्थी—1 को वाके चक 2 एसएमआर के खाता नं. 9 के प0न0 94/44 के कि0न0 1 ता 7, 7 ता 14, 17 ता 23/4.682 है0 कमाण्ड व प0न0 94/36 कि0न0 6 ता 9, 11 ता 19, 23 व 24 में 4.035 है0 कमाण्ड व प0न0 94/37 कि0न0 3 ता 7, 14 ता 17 में 1.785 है0 क0/अ0क0 मय खाला व प0न0 94/45 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 व 20 में 2.554 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 1.606 है0 रकबा व इसी चक 2 एसएमआर के खाता नं. 12/19 के प0न0 94/36 मु0न0 20 के कि0न0 20 ता 20 में 0.442 है0 क0/अ0क0 व प0न0 94/28 कि0न0 24 व 25/0.506 है0 अ0क0, 94/29 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 2.277 है0 अ0क0 व प0न0 94/37 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.504 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 6.729 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 2.854 है0 रकबा इस प्रकार दोनो खातों में कुल 4.460 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुआ है अप्रार्थी सं. 01 के नाम इस रकबा में प्रार्थीगण का कानूनन हक है। उपर वर्णित रकबा 4.460 है0 भूमि में से प्रार्थीगण का 4/5 बनता है तथा 4/5 हिस्सा रकबा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी नं. 01 प्रार्थीगण को हिस्सा नही देना चाहता है। अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण से नाराज रहता है जल्द से जल्द भूमि को विक्रय करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त रकबा बेचने का कोई कानून अधिकार नही है। प्रार्थीगण जैरप्रकरण रकबा में से 4/5 हिस्सा के खातेदार कृषक है व अप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा छोड़ते हुए बाकी रकबा कलमजन किया जाकर प्रार्थीगण के नाम से 4/5 हिस्सा का रकबा दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 की ऐलानिया धमकी से व्यथित होकर वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, भार संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः जैरप्रकरण भूमि वाके चक 2 एसएमआर के खाता नं. 9 के प0न0 94/44 के कि0न0 1 ता 7, 7 ता 14, 17 ता 23/4.682 है0 कमाण्ड व प0न0 94/36 कि0न0 6 ता 9, 11 ता 19, 23 व 24 में 4.035 है0 कमाण्ड व प0न0 94/37 कि0न0 3 ता 7, 14 ता 17 में 1.785 है0 क0/अ0क0 मय खाला व प0न0 94/45 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 व 20 में 2.554 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 1.606 है0 रकबा व इसी चक 2 एसएमआर के खाता नं. 12/19 के प0न0 94/36 मु0न0 20 के कि0न0 20 ता 20 में 0.442 है0 क0/अ0क0 व प0न0 94/28 कि0न0 24 व 25/0.506 है0 अ0क0, 94/29 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 2.277 है0 अ0क0 व प0न0 94/37 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.504 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 6.729 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 2.854 है0 रकबा इस प्रकार दोनो खातों में कुल 4.460 है0 भूमि को अप्रार्थीगण नं. 01 रहन बेचना ना करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 09.05.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को वाके चक 2 एसएमआर के खाता नं. 9 के प0न0 94/44 के कि0न0 1 ता 7, 7 ता 14, 17 ता 23/4.682 है0 कमाण्ड व प0न0 94/36 कि0न0 6 ता 9, 11 ता 19, 23 व 24 में 4.035 है0 कमाण्ड व प0न0 94/37 कि0न0 3 ता 7, 14 ता 17 में 1.785 है0 क0/अ0क0 मय खाला व प0न0 94/45 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 व 20 में 2.554 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 1.606 है0 रकबा व इसी चक 2 एसएमआर के खाता नं. 12/19 के प0न0 94/36 मु0न0 20 के कि0न0 20 ता 20 में 0.442 है0 क0/अ0क0 व प0न0 94/28 कि0न0 24 व 25/0.506 है0 अ0क0, 94/29 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 2.277 है0 अ0क0 व प0न0 94/37 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.504 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 6.729 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 2.854 है0 रकबा इस प्रकार दोनो खातों में कुल 4.460 है0 भूमि रहन बैय ना करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये साधारण नोटिस व रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 को साधारण नोटिस भेजा गया जो बाद तामिल प्राप्त हो चुकी है, लेकिन बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 04 के विरूद्ध दिनांक 27.06.2018 एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.05.2018 की अवधि ताफैसला वाद बढ़ाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्क सुनने के पश्चात् तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न इंतकाल संख्या 28 व 33 से स्पष्ट है कि जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हुक्माराम को अपने पिता छतु पुत्र मेघाराम के फौत होने पर विरास्तनप प्राप्त हुई है। जो की इंतकाल संख्या 28 व 33 से स्पष्ट है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना साबित होता हो। इसलिये जैरप्रकरण भूमि चक 2 एसएमआर के खाता नं. 9 के प0न0 94/44 के कि0न0 1 ता 7, 7 ता 14, 17 ता 23/4.682 है0 कमाण्ड व प0न0 94/36 कि0न0 6 ता 9, 11 ता 19, 23 व 24 में 4.035 है0 कमाण्ड व प0न0 94/37 कि0न0 3 ता 7, 14 ता 17 में 1.785 है0 क0/अ0क0 मय खाला व प0न0 94/45 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 व 20 में 2.554 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 1.606 है0 रकबा व इसी चक 2 एसएमआर के खाता नं. 12/19 के प0न0 94/36 मु0न0 20 के कि0न0 20 ता 20 में 0.442 है0 क0/अ0क0 व प0न0 94/28 कि0न0 24 व 25/0.506 है0 अ0क0, 94/29 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 2.277 है0 अ0क0 व प0न0 94/37 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.504 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 6.729 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 2.854 है0 रकबा इस प्रकार दोनो खातों में कुल 4.460 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के 4/5 के हिस्सा का रहन बैय तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वाद पत्र के निर्णय तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 हुक्माराम को पांबद किया जाता है कि वे जैरप्रकरण भूमि चक 2 एसएमआर के खाता नं. 9 के प0न0 94/44 के कि0न0 1 ता 7, 7 ता 14, 17 ता 23/4.682 है0 कमाण्ड व प0न0 94/36 कि0न0 6 ता 9, 11 ता 19, 23 व 24 में 4.035 है0 कमाण्ड व प0न0 94/37 कि0न0 3 ता 7, 14 ता 17 में 1.785 है0 क0/अ0क0 मय खाला व प0न0 94/45 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13, 19 व 20 में 2.554 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 1.606 है0 रकबा व इसी चक 2 एसएमआर के खाता नं. 12/19 के प0न0 94/36 मु0न0 20 के कि0न0 20 ता 20 में 0.442 है0 क0/अ0क0 व प0न0 94/28 कि0न0 24 व 25/0.506 है0 अ0क0, 94/29 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 2.277 है0 अ0क0 व प0न0 94/37 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.504 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 6.729 है0 क0/अ0क0 भूमि में से 2.854 है0 रकबा इस प्रकार दोनो खातों में कुल 4.460 है0 भूमि में से प्रार्थीगण के 4/5 के हिस्सा का रहन बैय तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वाद पत्र के निर्णय तक बनाये रखे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner